तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान. कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 19.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	——	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——	अर्जी के लिये स्टाम्प	——
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	——	प्लीडर की फीस	——
रूपये पर प्लीडर की फीस	——	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——	आदेशिका की तामिल	——
कमिश्नर की फीस	——	कमिश्नर की फीस	——
आदेशिका की तामिल	——		
योग	——	योग	——

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 009/2024

1. सुखचैन सिंह पुत्र तोलासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. जसपाल सिंह पुत्र तोलासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कर्मजीत कौर पुत्री तोलासिंह पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 पीटीपी संतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता — वादी
2. श्री करनैलसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 19.2.2024

वादी सुखचैनसिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण के पिता तोलासिह (तोतासिह) के नाम से चक नम्बर 3 जी.जी.आर के खाता संख्या 83/39 में कुल 2.024 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा तथा चक नम्बर 6 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 155/127 में कुल 2.177 हैक्टेयर में से 1/7 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से चक नम्बर 6 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 106/84 में कुल 0.987 हैक्टेयर ब0हि0ब0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉं संलग्न वाद पत्र है।

वादी व प्रतिवादीगण के पिता तोलासिह उर्फ तोतासिह व वादी व प्रतिवादीगण की माता मुख्त्यार कौर फौत हो चुके है जिनके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड पर है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम की तथा वादी व प्रतिवादीगण के पिता तौलासिह के नाम की आराजी पैतृक सम्पति है तथा तौलासिह फौत हो चुका है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व बटवारां में प्रतिवादीया संख्या 2 ने वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज अपने पिता तो[illegible] आराजी में से तथा अपने नमा की [illegible] संख्या 1 के पक्ष में ब0हि0ब0 आराजी का हक व हिस्सा अपने भाईयों वादी व [illegible] वादी। वाद पत्र की दफा 2 मौखिक रुप से त्याग किया हुआ है [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 1 में दर्ज तौलासिह व प्रतिवादीया संख्या 2 की आराजी [illegible] व अपनी आराजी की रकम राज जमा ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है [illegible] मुताबिक घरू विभाजन पक्षकारान करवाते चले आ रहे है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या [illegible] अपने हक व हिस्सा की आराजी पर निम्न प्रकार काबिज होकर काश्त कर रहें है :-

(क) वादी सुखचैनसिह को प्राप्त आराजी:- चक नम्बर 3 जी.जी.आर के खाता संख्या 83/39 में कुल 2.024 हैक्टेयर में से तोतासिह का 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner